बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

बिहार राज्य उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति के क्रम में दिनांक–17.07.2019 को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित तृतीय औपबंधिक मेधासूची के आलोक में दिनांक–31.07.2019 को अपराह्न 05:00 बजे तक विभाग में प्राप्त दावा/आपत्ति के निराकरण प्रतिवेदन का प्रकाशन।

बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियमावली, 2014 के आलोक में दिनांक–25.06.2015 एवं शुद्धि पत्र दिनांक–01.01.2016 को प्रकाशित विज्ञापन के फलस्वरूप विभिन्न खेल विधाओं में प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी के पश्चात खेल विधावार योग्य पाये गये (एक खेल विधा से अधिकतम पाँच) खिलाड़ियों की औपबंधिक मेधासूची सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के वेबसाईट– www.gad.bih.nic.in के Notice Board पर दिनांक–17.07.2019 को प्रकाशित की गई।

2. उक्त औपबंधिक मेधा सूची के आलोक में दिनांक–31.07.2019 को अपराह्न 05:00 बजे तक विभाग में प्राप्त दावा/आपत्ति का निराकरण प्रतिवेदन प्रकाशित किया जाता है।

अनु0–निराकरण प्रतिवेदन।

21/10/19

(सिद्धेश्वर चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–9/नि0–01–03/2014 (खण्ड), सा0प्र0 14323 /पटना–15, दिनांक 21.10.19

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

21/10/19

सरकार के अवर सचिव।

तृतीय औपबंधिक मेधासूची के प्रकाशन के आलोक मे प्राप्त दावा/आपत्ति के निष्कर्ष का प्रकाशन

क्र0	आवेदन संख्या	खेलविधा	नाम/पता	दावा/आपत्ति	अभ्यर्थी द्वारा उल्लेखित साक्ष्य	जाँच का निष्कर्ष	चयन समिति का निर्णय
1	432	Football	अन्नु कुमारी, पिता–श्री विजय प्रसाद सिंह, ग्राम–बरौनी, पो0–बरौनी, डयूढ़ी, थाना–तेघरा, जिला–बेगुसराय मो0–8340782828	द्वितीय औपबंधिक मेधासूची के प्रकाशन के आलोक में चयन समिति द्वारा प्राप्त दावा/आपत्ति (निष्कर्ष एवं निर्णय) में कहा गया है कि "साक्ष्य के रूप में एक अन्य प्रमाण पत्र जो U-19 Qualification Competition नई दिल्ली, 2006 एवं U-19 Qualification Championship क्वालालम्पुर–2006 में भाग लेने से संबंधित है। इनके द्वारा समर्पित खेल प्रमाण पत्र खेल नियमावली के नियम–4 'क' की अनुसूची ए–1 एवं ए–2 में वर्णित खेल प्रतियोगिता से भिन्न है, जिसके कारण उपर्युक्त प्रतियोगिताओं में सहभागिता हेतु इन्हें मेधासूची में प्राथमिकता नहीं दिया गया है"।	चयन समिति द्वारा मेरे पूर्व के किये गये दावा के साथ संलग्न खेल प्रमाण पत्र (एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन के तहत China PR-2004 (एनेक्चर–1) में भाग लेने के साक्ष्य के रूप में संलग्न अन्य प्रमाण पत्र ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा जारी प्रमाण पत्र (एनेक्चर–2) के आधार पर U-19 चैम्पियनशिप, 2006 में क्वालालम्पुर में भाग लिया गया है। के आधार पर मेरे द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व किया गया है, को माना गया है। चयन समिति के द्वारा मेरे U-19 चैम्पियनशिप प्रमाण पत्र को जाँच निष्कर्ष के बाद खेल नियमावली के 4 'क' की अनुसूची ए–1 एवं ए–2 में वर्णित खेल प्रतियोगिता से भिन्न बताया गया है। जबकि बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियमावली, 2014 के 4 'क' की अनुसूची ए–2 मे (5) में एशियन चैम्पियनशिप शामिल है और मेरे द्वारा इस प्रतियोगिता में दो बार भाग लिया गया है। इसके अनुसार मेधासूची में मेरा स्थान शीर्ष पर रहना चाहिए जबकि मेधासूची में मेरा नाम ही नहीं है। अतः चयन समिति से अनुरोध है कि मेरे नाम पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर मेधासूची में मेरा नाम अंकित किया जाय। अनु0– 1. पूर्व से समर्पित दावा पत्र पर चयन समिति का निष्कर्ष प्रतिवेदन। 2. एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन के तहत China PR.–2004 (एनेक्चर–1) 3. ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा U-19 चैम्पियनशिप, 2006 में क्वालालम्पुर में भाग लेने हेतु जारी प्रमाण पत्र। (एनेक्चर–2) 4. ऑल इंडिया फेडरेशन द्वारा आयोजित सीनियर वोमेन नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007 एवं 2011 के अतिरिक्त 32वीं नेशनल गेम्स, हैदराबाद एवं विशाखापतनम में भाग लेने हेतु प्रमाण पत्र।	अन्नु कुमारी से प्राप्त दावा/आपति के आलोक में पुनः जाँच की गई। बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ी नियुक्ति नियमावली, 2014 के नियम–4 vii (क) के अनुसार अनुसूची–1 के ए 2(v) में उल्लिखित एशियन चैम्पियनशीप से तात्पर्य चार वर्षों में एक बार होने वाले एशियन चैम्पियनशीप से है जिसमें पुरूष एवं महिला वर्ग के खिलाड़ी मात्र ही देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके द्वारा एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन द्वारा आयोजित U–19 विमेन्स चैम्पियनशीप, 2004 एवं 2006 में भाग लिया गया है जो नियमावली के अनुसूची –1 के ए–2 में उल्लिखित खेल प्रतियोगिता के अन्तर्गत नहीं आता है बल्कि उससे भिन्न है। उक्त आधार पर ही इनके द्वारा पूर्व में प्राप्त दावा/आपत्ति को अस्वीकृत किया जा चुका है। उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में इनके दावा को पुनः अस्वीकृत किया जा सकता है।	दावा/ आपत्ति अस्वीकृत
2	1126	Football	सबिता कुमारी सिन्हा, द्वारा–स्व0 उमाशंकर प्रसाद, छाता चौक, दामुचक रोड, माई–स्थान के समीप, मुजफ्फरपुर, पिन–842001 मो0–7209332970/ 9304390845	सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक–9548 दिनांक–17.07.2019 को प्रकाशित उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति हेतु औपबंधिक मेधा सूची में नाम नहीं प्रकाशित होने एवं दावा/आपत्ति को अस्वीकृत किये जाने के संबंध में। आपत्ति मेरे तृतीय नेशनल महिला फुटबॉल प्रतियोगिता के प्रमाण पत्र को नहीं देखा गया है। और मेरे तृतीय फेडरेशन कप टुर्नामेनट के प्रमाण पत्र के आधार पर मेरे दावा/आपत्ति को अस्वीकृत किया गया है। मैने तृतीय नेशनल महिला फुटबॉल प्रतियोगिता हल्दीया (कलकत्ता), 1994–95 में खेली। जिसका प्रमाण पत्र संख्या–0319 हैं। ये भी आवेदन के साथ संलग्न है। मैने तृतीय फेडरेशन कप 1994 भी खेली जिसका प्रमाण पत्र तथा द्वितीय एवं चतुर्थ नेशनल का प्रमाण पत्र एक साथ ऑल इंडिया फेडरेशन द्वारा बनाया गया है। मैं लगातार द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ नेशनल महिला फुटबॉल प्रतियोगिता तथा ऑल इंडिया युनिर्वसिटी महिला फुटबॉल प्रतियोगिता में द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त की हूँ। मै नियमावली के सभी नियम को पूर्ण करती हूँ, अतः पुनः जाँच करते हुए मेरे दावा/आपत्ति को स्वीकृति प्रदान की जाये और सेवा का अवसर प्रदान की जाये।	1. 1993 द्वितीय राष्ट्रीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता डालटेनगंज (पलामू) बिहार 2. 1994–95 तृतीय राष्ट्रीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता (हल्दीया) कलकता प्रमाण पत्र संख्या–0319 3. 1996 चतुर्थ राष्ट्रीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता (जोरहट) असाम 4. 1997 तृतीय स्थान प्राप्त ऑल इंडिया इंटर यूनिर्वसिटी प्रतियोगिता (अन्नामलाई नगर) 5. 1999 द्वितीय स्थान प्राप्त ऑल इंडिया इंटर युनिवर्सिटी प्रतियोगिता (कोट्टयम), केरल	श्रीमती सबिता कुमारी सिन्हा से प्राप्त दावा/आपत्ति के आलोक में पुनः मूल आवेदन की जाँच की गई। आवेदन के साथ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा दिनांक–02.04.2012 को निर्गत लेटर पैड में प्रमाणित किया गया है कि इन्होंने वर्ष 1993 एवं 1996 में क्रमशः द्वितीय एवं चतुर्थ विमेन्स नेशनल चैम्पियनशिप में तथा तृतीय विमेन्स फेडरेशन कप 1994 में बिहार का प्रतिनिधित्व किया है। 2. इनके मूल आवेदन के साथ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा तृतीय नेशनल विमेन्स फुटबॉल चैम्पियनशिप 1995 में बिहार का प्रतिनिधित्व किये जाने संबंधी आयोजक द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र संलग्न किया गया है। 3. इसके साथ ही अखिल भारतीय विश्वविद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता वर्ष 1997 एवं 1999 में क्रमशः तृतीय एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने संबंधी संलग्न प्रमाण–पत्र के आधार पर इन्हें क्रमशः 600+700= कुल–1300 अंक दिया जा चुका है। 4. यदि लेटर पैड में दिये गये प्रमाण–पत्र को भी माना जाता है तो इन्हें द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप में लगातार तीन वर्षों तक सहभागिता के आधार पर 1800 अंक दिया जा सकता है। इस प्रकार उपरोक्त क्रमांक–3 में अंकित अंक 1300 के साथ 1800 अंक दिया जाता है तो इनका कुल अंक 3100 हो जायेगा। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में चयन समिति द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।	दावा/ आपत्ति स्वीकृत। शेष प्रमाण पत्रों के सत्यापन के उपरांत निर्णय हेतु लंबित।

(मोहम्मद मुर्तजा)

प्रशाखा पदाधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग
बिहार, पटना